



संख्या : 2724/जी0एस0(शिक्षा) / A3-130 / 2021

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया,  
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 08 जनवरी, 2025

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 230628111615, दिनांक 27.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें इंसिपेरेशन कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, पौलीशीट, काठगोदाम, नैनीताल को बी0एड पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

| क्रमांक | महाविद्यालय/संस्थान का नाम                                    | पाठ्यक्रम का नाम | प्रवेश क्षमता<br>(कुलपति की संस्तुतिनुसार) | अस्थाई सम्बद्धता की<br>अवधि |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | 2                                                             | 3                | 4                                          | 5                           |
| 01      | इंसिपेरेशन कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, पौलीशीट, काठगोदाम, नैनीताल। | बी0एड            | 100 सीट                                    | 2023-24                     |

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, शैक्षिक सत्र 2024-25 के अन्त तक संस्थान से प्राप्ति राशि यू0जी0सी0 विनियम एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2016 के अनुसार बंधक रखवाना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Signed by

Swati Srivastava Bhadauria

Date: 07-01-2025 17:22:19 (स्वाति एस0 भदौरिया)

भवदीया,  
कुलाधिपति के अपर सचिव।संख्या : 2724(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-130/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित संस्थान।

4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

Signed by

Shri Laxman Ram Arya

Date: 08-01-2025 11:18:52